

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला**

**पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस**

प्रार्थना पत्र संख्या 18/2019

प्रार्थी

25

बनाम

अप्रार्थी

तहसीलदार भू.अ. सायला  
जिला जालोर

श्री भूरा वल्द समेला बगैरह  
जातियान राजपुत निवासी थलवाड

**प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136**

**बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती**

उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार ( तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरो के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत यह है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1520/1699 रकबा 0.28 हे. में भूरा वल्द समेला जोगसिंह परबतसिंह पि.मोती कौम राजपूत सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1520/1699 रकबा 0.28 हे सुजानसिंह वल्द भूरा जोगसिंह परबतसिंह पि.मोती कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन जोगसिंह का हि.एमजीवी शाखा धानसा दर्ज है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1799 दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1799 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि मिसल बन्दोबस्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1520/1799 की बजाय 1520/1699 शुद्ध/संशोधन किया जा सके जाने का निवेदन किया है।


प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम थलवाड के खसरा नम्बर 1520/1799 के बजाय 1520/1699 राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी का सहमती पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1520/1699 रकबा 0.28 हे. में भूरा वल्द समेला जोगसिंह परबतसिंह पि.मोती कौम राजपूत सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1520/1699 रकबा 0.28 हे सुजानसिंह वल्द भूरा जोगसिंह परबतसिंह पि.मोती कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन जोगसिंह का हि.एमजीबी शाखा धानसा दर्ज है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1799 दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1520/1799 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती हप्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1520/1799 के बजाय 1520/1699 को नक्शे में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत हैं तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1520/1799 के बजाय 1520/1699 को नक्शे में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1520/1799 के बजाय 1520/1699 को सलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रिकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ..... 20/05/2019 ..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(गोमती शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सायला